संख्याः 126 /XVII(4)/2016-5(36)/16TC

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 19 जनवरी, 2017 ~~दिसम्बर~~, 2016

विषयः **बाल विवाह का प्रतिषेध अधिनियम 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6 वर्ष 2007) की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि बाल विवाह का प्रतिषेध अधिनियम 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6 वर्ष 2007) की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 शांसनादेश संख्या–636/XVII(4)/2016-240/2010 दिनांक 13.04.2016 द्वारा प्रख्यापित किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर अधिनियम और नियमो के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिये प्रत्येक जिले में जिला अनुश्रवण समिति गठित की गई है। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या 1822/XVII(2)/2010 दिनांक 06.09.2010 द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला कार्यकम अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है। बाल विवाह के शिकायती प्रकरण विभिन्न माध्यमो से शासन में प्राप्त हो रहे है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल विवाह का प्रतिषेध अधिनियम 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6 वर्ष 2007) की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 का पूर्णतः अनुपालन कराते हुए समय समय पर जिला अनुश्रवण समिति की बैठकें भी आहूत करना सुनिश्चित करें जिससे कि राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का शत–प्रतिशत अनुपालन हो सके।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– /XVII(4)/2016-5(36)/16TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, आई0सी0डी0एस0/राज्य स्तरीय नोड़ल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिला कार्यकम अधिकारी/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।